।न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर ए एस

अपील संख्या 185/2014

शम्भुराम पुत्र नत्थूराम जाति बावरी निवासी 8 जीएम तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलार्थी

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान।

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू.रा. अधिनियम

विरूद्ध आदेश जिला कलेक्टर,श्रीगंगानगर

दिनांक 04.12.2016

उपस्थिति

श्री तेजासिंह, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांकः— 14.07.2017

अपीलांट द्वारा यह अपील जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 04.12.1996 के विरूद्ध पेश की है। उक्त आदेश के द्वारा चक 8 जीएम के मु.न. 163/47 की भूमि किश्तों की राशि जमा नहीं कराने से खारिज की गई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा सेल रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की है जिसमें चक 8 जी एम के मु.न. 163/47 की 25 बीघा भूमि रामूराम पुत्र नत्थूराम को आवंटित थी। उक्त सैल रजिस्टर में यह नोट अंकित है कि श्रीमान सी जी आदेश दिनांक 04.12.1996 से रकबा खारिज । अधी.न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से भी ऐसा आदेश अधी.न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

14/7/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

सैल रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि आदेश की परिभाषा में नहीं आने से एवं अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश नहीं करने के कारण अपील जिस आदेश के विरूद्ध पेश की है, वह आदेश अपील में पेश नहीं होने से अपील अपीलांट इसी बिन्दु पर खारिज की जाती है।

निर्णय दिनांक 14.07.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर